

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

देवाशंकर

विपक्षी

गोडुलाल

मुकदमा

वा/५

पत्रावली संख्या

234/15


सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

29/5/23

पत्रावली आज कैम्प पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक - 22.5.23 को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

17/7/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनु. 1 आवेदन दिलावादी गई, अनु. 1। अधि. वादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी वारिस कायमी नहीं करवाये। आज भी अधिवक्ता वादी अनु. 2 हेतु अनु. वादी का वाद अखेट कर खारिज किया जाया है। पत्रावली कैम्पल सुमाट होकर नम्बर से कम है।

निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
SDO मावली

